RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २१] गुरुवार, जुलै ९, २०१५/आषाढ १८, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

नगर विकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित २८ अप्रैल २०१५।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VI OF 2015.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT 1966.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ सन २०१५।

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

सन् १९६६ का महा. ३७। **और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यामान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९६६ का महा. ३७ ।

सन् १९६६ का महा ३७ की धारा १२४च में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा, १२४ च की, उप-धारा (२) में, ‘‘ किसी शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था या पूर्त संस्था द्वारा किसी भूमि या भवन के विकास पर ’’ शब्दों के स्थान में, ‘‘ किसी शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था या पूर्त संस्था द्वारा, किसी भूमि या भवन के विकास पर ’ जे भाण्डागार या गोदाम के लिए प्रस्तावित है.’’ शब्द रखे जायेंगे ।

वक्तव्य

महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ का अध्याय ६क विकास प्रभार के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा वसूली के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा १२४क जिसके लिए उक्त अधिनियम अधीन जो अनुमति आवश्यक है, किसी भूमि या भवन के उपयोग या उपयोग के परिवर्तन या किसी भूमि या भवन के विकास की संस्था पर विकास प्रभार अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उद्ग्रहण करने के लिए नियोजन प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण को सशक्त करती है। उक्त अधिनियम की धारा १२४च, विकास प्रभार की अदायगी से छूट के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा १२४च की उप-धारा (२) **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि अधिरोपित किया जाए, किसी शैक्षणिक संस्था, चिकित्सा संस्था या पूर्त संस्था द्वारा किसी भूमि या भवन के विकास पर देय विकास प्रभार की अदायगी से अंशतः छूट देने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करती है ।

२. " कारोबार कार्यकलाप-२०१५ " इस विश्व बैंक रिपोर्ट से यह देखा गया है कि भाण्डार या गोदाम के सन्निर्माण के लिए विकास अनुमति प्राप्त करने की बोझिल प्रक्रिया होने से " कारोबार कार्यकलाप " देश का स्थान घटाने में सहायक हो रहा है ।

इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तथा देश के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के स्थान में सुधार लाने के लिए और राज्य सरकार के " मेक इन महाराष्ट्र मिशन " को कार्यान्वित करने के लिए यह महसूस किया गया है कि, भूमि या भवन के ऐसे विकास पर विकास प्रभार की अदायगी को अंशतः छूट देने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार, भाण्डार या गोदाम के लिए किसी भूमि या भवन के विकास पर विकास प्रभारों की अदायगी का मामला जो प्रस्तावित हुआ है उसे जारी करने के लिए संबोधित करेगी। इसलिए, उक्त धारा १२४च में तुरंत यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

३. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ (सन १९६६ का महा. ३७) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

मुंबई,
दिनांकित २७ अप्रैल २०१५ ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डा. नितीन करीर
शासन के प्रधान सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.